बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् की स्थापना भारतीय संसद द्वारा पारित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जो 23 मार्च, 1974 से लागू हुआ, के अधीन की गई जो 4 नवम्बर, 1974 से कार्यरत है।

राज्य पर्षद् के वित्तोय सुदृढ़ीकरण हेतु संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 पारित किया गया ताकि पर्षद् अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक निष्पादित कर सके ।

मई, 1981 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धाराओं के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गयी । जल एवं वायु अधिनियमों की धाराओं को सख्ती से लागू करने हेतु बनाये गये पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 से संबंधित कतिपय कार्यों का भार भी राज्य पर्षद् को दिया गया ।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 06,08 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016; जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016; परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापारीय संचरन) नियमावली, 2016; एवं ई. अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 अधिसूचित किया गया है। साथ ही एक नयी नियमावली निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 मार्च 2016 में पहली बार अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत अन्य हितधारकों सहित राज्य पर्षद् को भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में निहित प्रावधानों के तहत परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/ अनुवांशिकत: निर्मित जीवों अथवा कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के लिए नियमावली 1989; रासायनिक दुर्घटना (आकस्मिक योजना तैयारी) नियमावली, 1996; एवं बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2001 बनाया गया है। इनके अन्तर्गत भी राज्य पर्षद् को प्रदूषण नियत्रंण हेतु महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु उक्त अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियमावली, 2000 भी अधिसूचित है। इस नियमावाली के तहत जिलापदाधिकारी एवं अन्य सक्षम प्राधिकार घोषित हैं।

उपरोक्त अधिनियमों एवं नियमावलियों के अतिरिक्त परोक्ष रूप से पर्षद् को जनदेयता बीमा अधिनियम, 1991 एवं उसके तहत बने नियमावली से भी सरोकार है ।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों को बिहार राज्य में लागू करती है। यह पर्षद् एक नियामक वैधानिक निकाय है, लाभ अर्जन करने की संस्था / उपक्रम नहीं।